प्रेस – नोट थाना खजनी जनपद गोरखपुर दिनांक 09-09-2021

नाबालिग से मारपीट व छेड़खानी के आरोप में 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गोरखपुर के दिशा निर्देशन में श्रीमान पुलिस अधीक्षक दक्षिणी के मार्गदर्शन में व श्रीमान क्षेत्राधिकारी खजनी के कुशल निर्देशन व प्रभारी निरीक्षक खजनी के नेतृत्व में दिनांक 09.09.2021 को व0उ0नि0 दुर्गेश कुमार शुक्ला मय हमराह का0 राजनरायन धुर्यवंशी, के देखभाल क्षेत्र , तलाश वांछित अभियुक्त में थाना क्षेत्र में मामूर था कि मुखबिर खास सूचना मिली कि आपके क्षेत्राधिकारी खजनी के मुकदमे से सम्बन्धित अभियुक्त हरदीडीह चौराहे पर खडे है व कही जाने के फिराक मे है यदि जल्दी किया जाय तो पकडा जा सकता है मुखबिर की बात पर विश्वास करके मै उ0नि0 मय हमराह कर्मचारी व मुखबिर को साथ लेकर हरदीडीह रवाना हुआ दूर से मुखबिर इसारा करके हटबढ गया नजदीक पहुचने पर हम पुलिस वालो को देखकर अभियुक्तगण भागना चाहे कि हिकमत अमली से हमराही कर्मचारीगण की मदद से पकड लिया गया नाम पता पूँछा गया तो पहले ने अपना नाम रामजीत उर्फ छोटू निषाद पुत्र हरिकान्त निषाद निवासी ग्राम हरदीडीह थाना खजनी जनपद गोरखपुर दूसरे ने अपना नाम अभिषेक पुत्र हरिकान्त निषाद निवासी ग्राम हरदीडीह थाना खजनी जनपद गोऱखपुर बताया जो मुकदमा 194/21 धारा 354क,354ख,323,506 भादवि व 3(2)5 क एससी एसटी एक्ट व 7/8 पाक्सो एक्ट मे वाँछित है अत: कारण गिरफ्तारी बताते हुए समय करीब 9.00 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1-रामजीत उर्फ छोटु निषाद पुत्र हरिकान्त निषाद निवासी ग्राम हरदीडीह थाना खजनी जनपद गोरखपुर।

2.अभिषेक पुत्र हरिकान्त निषाद निवासी ग्राम थाना खजनी जनपद गोरखपुर।

अभियोग जिसमें गिरफ्तरी हुई-

मु0अ0स0 194/2021 धारा 354क,354ख,323,506 भादवि व 3(2)5 क एससी एसटी एक्ट व 7/8 पाक्सो एक्ट ।

गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी व कर्मचारीगण-

1. उ0नि0 दुर्गेश कुमार शुक्ला
2. का0 राजनरायन धुर्यवंशी